रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 228] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1984/आषाढ 7, 1906
No. 228] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1984/ASADHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1984

सा. का. नि. 476(अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 के नियम 3.22(2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु आपवादिक मामलों में जहां अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अधीन एक ही खम्भे पर दो निकट सिग्नल लगाए गए हैं वहां ऊपर का सिगनल मेन लाइन के लिए होगा और नीचे का सिगनल अन्य लाइनों के लिए होगा ।"

पाद टिप्पण :—भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 21-7-1981 में सा. का. नि. सं. 445/अ के अधीन अधिसूचित किए गए थे । इन नियमों में तारीख 16 अप्रैल, 1983, 30 अप्रैल, 1983 और 27 जून, 1983 के राजपत्रों में प्रकाशित क्रमश: अधिसूचित सं. सा. का. नि. 320, 352 और 514(अ) द्वारा संशोधन किए गए ।

[सं. 84/सेफ्टी/(ए एण्ड आर)/29/5 (4)]

सी. के. स्वामीनाथन्, सदस्य,
यातायात, रेलवे बोर्ड और पदेन सचिव,
भारत सरकार ।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1984

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 47 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, after rule 3.22(2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in exceptional cases where two home signals are placed on the same post under approved special instructions, the top signal shall apply to the main line and the lower signal shall apply to the other lines."

Foot note : The Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 have been notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub section (i) dated 21-7-1981, under G.S.R. No. 445 (E). These rules were amended by notifications Nos. G.S.R. 320, 352 and 514(E) published in the Gazettes dated 16th April, 1983, 30th April, 1983 and 27th June, 1983 respectively.

[No. 84|Safety (A&R)|29|5(4)]

C. K. SWAMINATHAN, Member,
Traffic, Railway Board & Ex-officio Secy. to the Govt. of India